रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-- एफ.4 (ई) (519/94)/अलेसे–III/ दिनांक :–

आदेश संख्या315....../2013–14

श्री महेश कुमार द्विवेदी, कनिष्ठ लेखाकार (निलंबित) (मेरिट नंबर 519/94) को अपराधिक परिवाद संख्या 1917/2006 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–10, जयपुर नगर, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2010 द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट में दोष सिद्ध कर एक वर्ष का साधारण कारावास एवं दस लाख रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने के कारण इस विभाग के आदेश संख्या 182/2013–14, क्रमांक 8229–37 दिनांक 02.08.2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 19 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया था।

चूंकि श्री महेश कुमार द्विवेदी, कनिष्ठ लेखाकार को चैक अनादरण के आपराधिक कृत्य के लिए दोष सिद्ध मानकर सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। इसी प्रकरण में न्यायिक हिरासत में रहने के कारण उन्हें निलंबित किया गया एवं निलंबन अवधि में ही सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दोष सिद्धि के पश्चात् दंडित करने के कारण उक्त आदेश द्वारा श्री द्विवेदी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है। अतः उक्त आदेश के क्रम में श्री द्विवेदी की निलंबन काल की अवधि दिनांक 17.10.2011 से दिनांक 01.08.2013 का निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त शेष वेतन भुगतान नहीं किये जाने एवं निलंबन अवधि को पेंशन योग्य नहीं माने जाने का निर्णय एतद्द्वारा लिया जाता है।

ह०
(वीरबाला जोशी)
निदेशक एवं अनुशासनिक अधिकारी

क्रमांक :– एफ.4 (ई) (519/94)/अलेसे–III/10383-10396 दिनांक :-28/11/2013
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, विधि/जाँच, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
4. श्री महेश कुमार द्विवेदी, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं0 2978), प्लाट नं॰ 5, गोविन्द विहार, रिद्धि सिद्धि, अग्रसेन पथ के पीछे, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर पिन कोड नं॰ 302018 को उनके पत्र दिनांक 13.08.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
5. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/श्री महेन्द्र गोयल, लेखाकार–शाखा अलेसे–III।
6. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर प्रकाशन एवं पीआईएस में दर्ज करने हेतु)।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)